



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 777

05.01.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी का शुभारंभ

संदर्भ: डीजीएफटी. व्यापार सूचना संख्या 20/2025-26 दिनांक 02 जनवरी 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट रूपये निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी शुरू करने की घोषणा करते हुए एक व्यापार अधिसूचना जारी की है।

यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से पायलट आधार पर कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण की लागत को कम करना और तरलता में सुधार करना है।

योजना की विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

- ब्याज सब्सिडी की दर: 2.75% प्रति वर्ष
- पात्र क्रेडिट:

शिपमेंट-पूर्व रूपये निर्यात ऋण

शिपमेंट के बाद रूपये में निर्यात ऋण

- पात्र लाभार्थी:

लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माता, निर्यातक और व्यापारी निर्यातक

वैध आईईसी और वैध एमएसएमई उद्यम पंजीकरण होना आवश्यक है।

- उत्पाद कवरेज:

एचएसएन की 6-अंकीय टैरिफ लाइनों की अधिसूचित सकारात्मक सूची के अंतर्गत निर्यात

- अधिकतम लाभ:

प्रति वित्तीय वर्ष एमएसएमई निर्यातक को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

- लाभ प्राप्त करने का तरीका:

ब्याज सब्सिडी बैंकों द्वारा अग्रिम रूप से दी जाएगी और आरबीआई के माध्यम से इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता

निर्यात ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र MSME निर्यातकों को DGFT पोर्टल पर ऑनलाइन "निर्यात ऋण का इरादा" दाखिल करना आवश्यक है। जमा करने पर, एक विशेष पहचान संख्या (UIN) उत्पन्न होगी, जिसे संबंधित ऋणदाता बैंक के साथ साझा करना होगा। जहां लागू हो, प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग UIN आवश्यक हैं।

कृपया ध्यान दें

- यह योजना निर्यात प्रदर्शन, मात्रा या मूल्य निर्धारण से जुड़ी नहीं है।
- लाभ केवल निर्यात ऋण की ब्याज लागत तक ही सीमित हैं।
- योग्य उत्पादों की सकारात्मक सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
- निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक किसी भी दावे की वसूली नियमों के अनुसार की जाएगी।

विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्र एचएसएन कोड की सकारात्मक सूची और इरादा दाखिल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:

https://membership.plasticsepc.org-mails_images/20260105115534.pdf

सदस्यों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित बैंकों के साथ समन्वय करें।

सदस्य 16.01.2026 तक bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव भी भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें संकलित कर डीजीएफटी को अग्रेषित कर सकें।

साभार

प्लेक्सकॉन्सिल टीम